न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 784 / 2023

अनवान : –

1. रामेश्वर पुत्र अमीचन्द जाति जाट साकिन उज्जलवास तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. वीरसिंह पुत्र स्व0 अमीचन्द्र जाति जाट साकिन उज्जलवास तहसील नोहर–फौत।
   1/1. लीलावती पत्नी स्व0 वीरसिंह जाति जाट साकिन उज्जलवास तहसील नोहर।
   1/2. रामचन्द्र पुत्र स्व0 वीरसिंह जाति जाट साकिन उज्जलवास तहसील नोहर।
   1/3. रोशनी पुत्री स्व0 वीरसिंह जाति जाट साकिन उज्जलवास तहसील नोहर।
   1/4. सत्यनारायण पुत्र स्व0 वीरसिंह जाति जाट साकिन उज्जलवास तहसील नोहर।
2. सन्तो देवी पत्नी स्व0 भूपसिंह जाति जाट साकिन उज्जलवास तहसील नोहर।
3. राजेन्द्र पुत्र स्व0 भूपसिंह जाति जाट साकिन उज्जलवास तहसील नोहर।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 07/05/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक 11 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 18/18 की कुल 3.0360 हैक्ट भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि अमीलाल उर्फ अमीचन्द रोही मौजा चक 11 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 463/432 की कुल 11.1320 हैक्ट भूमि में से 1/9 हिस्सा भूमि अमीचन्द उर्फ अमीलाल के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता के नाम दर्ज है। वादी के पिता अमीलाल उर्फ अमीचन्द पुत्र सदुराम का दिनांक 12.05.1987 को देहान्त हो चुका है एवं उसकी धर्मपत्नी गिरदावरी भी फौत हो चुकी है एवं भूपसिंह के वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 है तथा प्रतिवादी संख्या 1 भी फौत हो चुका है एवं प्रतिवादी संख्या 1 के वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 1/1 ता 1/4 है जो की वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा दो जो कुछ दिनों तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.22 19:15:48 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1/1 ता 1/4 व 2 ता 3 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1/1 ता 1/4 व 2 ता 3 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 4 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी, मृत्यु प्रमाण अमीचन्द्र उर्फ अमीलाल, शपथ पत्र बाबत वारिसान आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता के नाम दर्ज है। वादी के पिता अमीलाल उर्फ अमीचन्द पुत्र सदुराम का दिनांक 12.05.1987 को देहान्त हो चुका है एवं उसकी धर्मपत्नी गिरदावरी भी फौत हो चुकी है एवं भूपसिंह के वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 है तथा प्रतिवादी संख्या 1 भी फौत हो चुका है एवं प्रतिवादी संख्या 1 के वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 1/1 ता 1/4 है जो की वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीया सं0 1/3 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 11 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 18/18 की कुल 3.0360 हैक्ट भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि अमीलाल उर्फ अमीचन्द रोही मौजा चक 11 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 463/432 की कुल 11.1320 हैक्ट भूमि में से [illegible] भूमि अमीचन्द उर्फ अमीलाल के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, वादी का [illegible] वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अमीचन्द उर्फ अमीलाल के नाम दर्ज है जो कि वादी का पिता है [illegible]मीचन्द उर्फ अमीलाल का देहान्त हो चुका

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.22 19:15:48 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

है तथा अमीचन्द उर्फ अमीलाल के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी स0 1/1 ता 1/4 व 2 ता 3 है प्रतिवादी संख्या 1/3 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार किया जाकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1/1 ता 1/4 व 2 ता 3 को कोई ऐतराज नही है। वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र बाबत वारिसान एवं सजरा खानदान के अलावा मृतक अमीचन्द के अन्य कोई भी वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 11 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 18/18 की कुल 3.0360 हैक्ट भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि में अमीलाल उर्फ अमीचन्द का नाम कलमजन किया जाकर 1/9 हिस्सा भूमि का वादी को, 1/9 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 1/1, 1/2, 1/4 को बहिब तथा 1/9 का प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा चक 11 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 463/432 की कुल 11.1320 हैक्ट भूमि में से 1/9 हिस्सा भूमि में अमीलाल उर्फ अमीचन्द का नाम कलमजन किया जाकर 1/9 हिस्सा भूमि का वादी को, 1/27 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 1/1, 1/2, 1/4 को बहिब तथा 1/27 का प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 07/05/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.22 19:15:48 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 784/2023

अनवान : –

1. रामेश्वर पुत्र अमीचन्द जाति जाट साकिन उज्जलवास तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. वीरसिंह पुत्र स्व0 अमीचन्द्र जाति जाट साकिन उज्जलवास तहसील नोहर–फौत।
   1/1. लीलावती पत्नी स्व0 वीरसिंह जाति जाट साकिन उज्जलवास तहसील नोहर।
   1/2. रामचन्द्र पुत्र स्व0 वीरसिंह जाति जाट साकिन उज्जलवास तहसील नोहर।
   1/3. रोशनी पुत्री स्व0 वीरसिंह जाति जाट साकिन उज्जलवास तहसील नोहर।
   1/4. सत्यनारायण पुत्र स्व0 वीरसिंह जाति जाट साकिन उज्जलवास तहसील नोहर।
2. सन्तो देवी पत्नी स्व0 भूपसिंह जाति जाट साकिन उज्जलवास तहसील नोहर।
3. राजेन्द्र पुत्र स्व0 भूपसिंह जाति जाट साकिन उज्जलवास तहसील नोहर।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 268 सन 2024 निर्णय दिनांक – 07/05/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र किशोर जोशी एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 11 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 18/18 की कुल 3.0360 हैक्ट भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि में अमीलाल उर्फ अमीचन्द का नाम कलमजन किया जाकर 1/9 हिस्सा भूमि का वादी को, 1/9 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 1/1, 1/2, 1/4 को बहिब तथा 1/9 हिस्सा का प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा चक 11 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 463/432 की कुल 11.1320 हैक्ट भूमि में से 1/9 हिस्सा भूमि में अमीलाल उर्फ अमीचन्द का नाम कलमजन किया जाकर 1/27 हिस्सा भूमि का वादी को, 1/27 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 1/1, 1/2, 1/4 को बहिब तथा 1/27 का प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 07/05/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.22 19:15:48 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर